कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेलः–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाषः– 0744–2500194

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2021/3947 दिनांक : 9.9.2021

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर

विषय : Diversion of 5.232 ha forest land in favour of Water Resources Department for right main canal and minor of Ahamdi Minor Irrigation Project.(Proposal No. FP/RJ/Irrg/23175/2016)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 05.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 05.04.2021 से चाही गयी सूचना का जवाब उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक एफ ( )एफसीए/उवसं/2021–21/6951 दिनांक 06.09.2021 से पूर्ति कर इस कार्यालय को प्रेषित किया है जो निम्नानुसार है:

S.No.	EDS Date05.04.2021	Reply
1	Area of the KML file of CA land can not be claculated as the KML seems incorrect.	उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक 6951 दिनांक 06.09.2021 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी ने Area of the KML file of CA land की गणना सही कर दी है। (संलग्न KML file CD)
2	Encroachment is also being seen in the area.	उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक 6951 दिनांक 06.09.2021 से अवगत कराया है कि यूजर ऐजेन्सी द्वारा श्रीमान जिला कलेक्टर बारां द्वारा ली गयी बैठक दिनांक 17.07.2019 की अनुपालना में दिनांक 27.08.2021 को खसरा नम्बर 56 रकबा 7.13 बीघा का मौका निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण कर अस्थाई अतिक्रमण (loose Stone) को जे0सी0बी0 से हटा दिया गया है तथा प्रशासनिक एवं पीपल्या चौकी ग्राम वासीयान की रजामन्दी से खसरा न0 56 के अन्दर से जाने वाले मार्ग को बाहर निकाला गया है। जिसकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

भवदीय

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकःएफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2021/ दिनांक :

1. प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां को उनके पत्र 6951 दिनांक 06.09.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड–III बारां को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

E:\FCA\FCA\FCA letter, 2019.docx 464